

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

फा.सं. 17-02(02)/ 50-एचआर-III/सीएचएस

दिनांक : 25 अप्रैल, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/यूनिटों में निदेशकों/ मुख्य वैज्ञानिकों के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक समिति (आईसी) की संशोधित संरचना के संबंध में।

संदर्भ: सीएसआईआर का. ज्ञा. सं. 17-02(02)/50-एचआर- III /सीएचएस दिनांक 06/12/2024

सीएसआईआर के दिनांक 06/12/2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा अधिसूचित सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/यूनिटों में निदेशकों/मुख्य वैज्ञानिकों के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक समिति की संरचना में आंशिक संशोधन करते हुए सीएसआईआर के माननीय उपाध्यक्ष ने, सीएसआईआर के अध्यक्ष की ओर से, सुश्री नंदिनी पालीवाल, आईएस (एजीएमयूटी:2002), सचिव(उच्च शिक्षा/टीटीई), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को तिरुमती एस. मदुमति, आईएस, सचिव, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार के स्थान पर, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी नामित किया है।

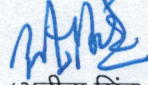
उपर्युक्त परिवर्तन वर्तमान पीठासीन अधिकारी के कार्यकाल के पूरा होने के पश्चात दिनांक 27/04/2025 से प्रभावी होगा। तदनुसार, दिनांक 27/04/2025 से प्रभावी आंतरिक समिति की अद्यतित संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	आईसी में भूमिका
1.	सुश्री नंदिनी पालीवाल, आईएस, सचिव (उच्च शिक्षा/टीटीई), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	पीठासीन अधिकारी
2.	प्रो प्रदीप कुमार रमनचारला, निदेशक, सीएसआईआर- सीबीआरआई, रुड़की	सदस्य*
3.	डॉ. ललिता गोयल, मुख्य वैज्ञानिक, टीएमडी, सीएसआईआर मुख्यालय	सदस्य^
4.	डॉ. (श्रीमती) मानसी मिश्रा, विभागाध्यक्ष, अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबन्ध, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, नई दिल्ली	सदस्य*

* सीएसआईआर के दिनांक 06/12/2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 17-02(02)/50-एचआर-III/सीएचएस के अंतर्गत सदस्यों को नामित किया गया।

^ सीएसआईआर के दिनांक 07/03/2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 17-02(02)/50-एचआर-III/सीएचएस के अंतर्गत सदस्यों को नामित किया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के खंड 3 के अनुपालन में पीठासीन अधिकारी और सदस्य अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक का कार्यकाल नहीं लेंगे।


(अनीता सिंह)
उप सचिव

प्रतिलिपि:

- पीठासीन अधिकारी और आंतरिक समिति के सदस्य।
- प्रमुख, आईटी प्रभाग-इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने के अनुरोध सहित।